न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र नम्बर :– 69/2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/170

अनवान

1. रामी पत्नि मोहनलाल कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरी पत्नि मथुरालाल कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. प्यारा पिता मेघा कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पिता गोकल कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरलाल पिता भारू कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. उदयलाल पिता भैरूलाल कुमावत निवासी धुलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान का तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश चन्द टेलर – अधिवक्ता प्रार्थी
2. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 3

निर्णय

दिनांकः– 9/2/26

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि –

1. राजस्व ग्राम धुलखेड़ा पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 1343 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1353 रकबा 0.14 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.29 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 226 पर प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत की है।
2. उक्त वर्णित आराजियात के साबिक नम्बर 740/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि थे। उक्त भूमि साविक नक्शे में तरमीम नही थी, किन्तु मौके पर प्रार्थीगण सड़क के पास कुछ भुभाग पर और फिर पीछे के रकबे पर काबिज थे। प्रार्थीगण गुजरात रहते है जिसका नाजायज लाभ उठाकर विपक्षीगण आए दिन उक्त भूमि को हड़पने का उपकम करने लग गए। इस गरज से उन्होने संयुक्त साजिश रचते हुए विपक्षी भैरू ने बिना किसी आधार के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 आ.टी.एक्ट. एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत् प्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर दिया जिसके प्रकरण संख्या 69/2020 विचाराधीन है एवं प्रकरण संख्या 121/2020 भैरू बनाम रामी वगैरा में स्थगन जारी करवा लिया है। स्थगन की आड़ में विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी पर नाजायज कब्जा करने की नियत रखने लग

गए तथा दिनांक 01.05.2022 को दिन में बाहर के व्यक्तियों की टीम बुलाकर प्रार्थीगण की आराजियात के कच्चे पत्थरों को हटाकर जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1343 पर बलात् अतिक्रमण कर लिया। प्रार्थीगण डर से मौके पर कुछ नही बोल सके तथा विपक्षीगण प्रार्थीगण का मुकाबला नही कर सकते है, इसलिए प्रार्थीगण को कब्जेयापी का वादपत्र मजबुर होकर पेश करना पड़ा है। प्रार्थीगण की भूमि पर किए गए बलात् अधिपत्य को हटाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

3. विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1443 पर कब्जा कर मकान का अवैध निर्माण कर रहे है जिसको रूकवाया जाना अति आवश्यक है, इसलिए विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है और सुविधा, सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि अवैध पक्का निर्माण कर दिया तो प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी।

4. अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में और विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम धूलखेड़ा पटवार मण्डल बागोलिया में स्थित प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 1343 रकबा 0.15 है0 भूमि पर विपक्षीगण किसी प्रकार का निर्माण न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि को भारग्रहित नहीं करें न किसी अन्य से करावें। तथा दौराने प्रार्थना पत्र सुनवाई विपक्षीगण किसी भी प्रकार का निर्माण जबरन ताकत के बल पर कर देवें तो उसे विपक्षीगण के खर्चे पर ध्वस्त करके पूर्ववत स्थिति लाई जावें।

5. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन जारी किया गया। सम्मन की पालना में विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 05.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 1, 3 के अधिवक्ता उपस्थित जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

6. विपक्षी संख्या 1 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के साबिक नम्बर 740/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि थी तथा उक्त आराजी के पश्चिम में रास्ते से लगती हुई विपक्षी संख्या की साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा भूमि स्थित थी। परन्तु राजस्व नक्शे में विपक्षी संख्या व प्रार्थीगण की आराजी संख्या 740/1 व 740/2 की तरमीम नही थी तथा नक्शे में केवल मूल नम्बर 740 ही तरमीम था। विपक्षी संख्या व प्रार्थीगण मौके पर अलग–अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विपक्षी ने अपनी आराजियात पर पक्की दीवार कर रखी थी, प्रार्थीगण ने थोहर की बाड़ कर रखी है। विपक्षी संख्या 1 की भूमि रास्ते से लगती हुई है। विपक्षी ने अपनी साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 10 बिस्वा पर मकान व बाड़ा बना लिया तथा उस पर निवास करने लग गया। मकान व बाड़ा होने से तहसीलदार रायपुर को आठ बिस्वा भूमि को आबादी में नियमन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार रायपुर पत्रावली कायम कर उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां पेश जिस पर नियमन आदेश दिनांक 13.06.1989 को नियमन आदेश

जारी किया जाकर आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 440 दिनांक 12.04.1990 निर्णित किया जाकर जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 की की आराजी संख्या 740/1 रकबा 8 बिस्वा को गलत रूप से ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में दर्ज कर दिया गया व शेष बची 2 बिस्वा भूमि आराजी संख्या 740/1 रकबा 2 बिस्वा को विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज रखी। भूप्रबन्ध होने से विपक्षी संख्या 1 की कब्जेशुदा भूमि साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 8 बिस्वा के नवीन नम्बर कायम नही कर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि संख्या 1335 के साथ मिलाकर एक ही नम्बर कायम कर दिया तथा नवीन नक्शे में विपक्षी संख्या 1 की आठ बिस्वा आबादी भूमी के कोई नम्बर कायम नहीं किए तथा विपक्षी सख्या एक की कब्जे शुदा आबादी भूमी व कृषि आराजी के स्थान पर नवीन नक्शे में प्रार्थीगण की नवीन नाराजी संख्या 1343 रकबा 0.15 हैक्ट को राजस्व नक्शे का रकबा 0.09 हेक्ट. बढ़ाते हुए दर्ज कर दिया। विपक्षी सख्या एक की 740/1 रकबा 2 बिस्वा भूमी के नवीन नम्बर 1342 कायम किए गए जिसे भी नवीन नक्शे में उत्तर दिशा के बजाय दक्षिण दिशा में गलत दर्ज कर दिया। भु–प्रबंध विभाग का उक्त कृत्य बिना किसी विधिक आदेश के होकर गलत है जिससे विपक्षी सख्या एक ने प्रार्थीगण के विरुद्ध एक वादपत्र अतर्गत धारा 88, 188 रा०टी०एक्ट का माननीय न्यायालय में पेश कर रखा है जिसके प्रकरण संख्या 69/2020 है। विपक्षी संख्या 1 का वर्तमान में प्रार्थीगण की आ.स. 1343 की पश्चिमी दिशा में रास्ते से लगती हुई 0.09 हेक्ट. भूमी पर कब्जा चला आ रहा है जो विपक्षी संख्या एक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिस पर विपक्षी संख्या एक का मकान व बाड़ा बना हुआ हैं। प्रार्थीगण की आ.सं. 1343 रकबा 0.15 हेक्ट. भूमी विपक्षी सख्या एक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कब्जेशुदा भूमी के पूर्व दिशा में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज है तथा विपक्षी संख्या एक व प्रार्थीगण की भूमी के मध्य विपक्षी सख्या एक की पत्थर की दीवार हैं। विपक्षी संख्या एक अपनी खातेदारी भूमी व उसके पश्चात आबादी भूमी पर वर्षो से अपने पूर्वजो के समय से काबिज हैं। प्रार्थीगण की साबिक आ.सं. 740/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमी विपक्षी संख्या एक की साबिक आ.सं. 740/1 रकबा 10 बिस्वा के पूर्व दिशा में स्थित है तथा उसी पर प्रार्थीगण वर्षो से काबिज हैं। विपक्षी संख्या एक ने कभी प्रार्थीगण की भूमी पर अवैध कब्जा नहीं किया है तथा प्रार्थीगण की जमीन विपक्षी सख्या एक की भूमी में पीछे ही स्थित है। विपक्षी सख्या एक द्वारा अपनी आबादी भूमी साबिक आ.स. 740/1 रकबा आठ बिस्वा तथा 740/1 रकवा 2 बिस्वा को सेटलमेन्ट के बाद आबादी भूमी के नवीन नम्बर कायम नहीं करने तथा विपक्षी सख्या एक की आबादी भूमी की जगह प्रार्थीगण की आ.स. 1343 का रकबा 0.15 हैक्ट के वजाय 0.24 हेक्ट कर देने तथा दो बिस्वा के नवीन नम्बर 1342 को मौके एव साबिक नक्शे के विपरीत तरगीम करने की जानकारी होने से विपक्षी संख्या 1 ने अपनी भूमि की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री का प्रार्थना पत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें प्रार्थीगण को विपक्षी संख्या 1 के आराजी संख्या 1343 में 0.09 है0 में रास्ते से लगती हुई भूमि पर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने का स्थगन आदेश जारी किया गया है। विपक्षी संख्या एक द्वारा प्रस्तुत वाद में माननीय न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट सगवाई गई जिसमे भी

आ.स. 1343 की पश्चिमी दिशा में 0.09 हेक्ट पर विपक्षी सख्या एक का मकान व बाड़ा बना हुआ होने तथा विपक्षी संख्या एक की साबिक आराजी के नदीन नम्बर कायम नहीं करने तथा प्रार्थीगण की आ.स. 1343 का रकबा नवीन नक्शा में 0.15 हेक्ट., के बजाय 0.24 हेक्ट., ज्यादा होने का तथा प्राधर्थीगण का आ.सं. 1343 रकबा 0.15 हैक्ट., पर पूरा कब्जा होने का अंकन किया गया है तथा विपक्षी संख्या एक की साबिक आराजी संख्या 740/1 रकबा 2 विस्वा जिसके नवीन नम्बर 1342 रकबा 0.02 हेक्ट., जिसे विपक्षी सख्या एक ने विपक्षी सख्या दो को विक्रय कर दिया है जिसमें उसका मकान बना हुआ है जिसे उत्तर दिशा के बजाय दक्षिण में गलत रूप से दर्ज करने का अकन किया गया है। विपक्षी संख्या एक की रास्ते से लगती हुई भूमी के नवीन नम्बर सेटलमेन्ट के दौरान गलत तरमीम कर देने तथा विपक्षी संख्या एक की भूमी की जगह प्रार्थीगण की आ.स. 1343 का रकबा 0.15 हैक्ट., के बजाय 0.09 हेक्ट., बढ़ा कर 0.24 हैक्ट., कर देने से प्रार्थीगण की नियत में फितूर आ गया जिससे विपक्षी संख्या एक की भूमी को हडपने के लिए प्रार्थीगण ने यह झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसे सव्यय खारिज फरमाया जाए। मौका रिपॉर्ट की प्रति साथ पेश है।

7. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी संख्या 1343, 1353 वादग्रस्त आराजियात है। रास्ते के पास प्रार्थीगण का कब्जा है। प्रार्थीगण व विपक्षी परिवारजन है। धारा 88 में प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र पहले पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के प्रकरण संख्या 121/2020 के निणर्य दिनांक 03.02.2022 का निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है मौके पर यथास्थिति रखने बाबत्। दिनांक 01.05.2022 को प्रार्थीगण की दीवार को ढंसा दिया ओर आराजी संख्या 1343 पर बलात् आधिपत्य कर लिया गया। प्रार्थीगण ने कब्जा प्राप्त करने का वादपत्र पेश किया है जिसके साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। आराजी संख्या 1343 पर विपक्षी भंवरलाल ने मकान बना लिया है। भंवरलाल ने प्रार्थी को ना तो कब्जा दिया है और ना ही पैसा दिया है। प्रार्थीगण ने कब्जे के आधार पर विपक्षीगण की बेदखली हेतु डिकी जारी कराने के लिए वादपत्र पेश किया है। पूर्व में निर्णित घोषणा के वाद के वाद के निर्णय के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा अपील पेश कर दी गई है जिसके अनुसार पूर्व के निर्णय पर स्थगन है। परन्तु पूर्व के न्यायालय के आदेश की अमल दरामद पहले ही हो चुकी है। प्रार्थीगण की आराजी पर कोई निर्माण नही करे मौके की यथास्थिति बनाए रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद निस्तारण तक जारी की जाए।

8. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी संख्या 1343 पर वादी ने कब्जे के आधार पर बेदखली का वाद पेश किया है। आराजी संख्या 740/2 पुरानी भूमि है। आराजी संख्या 740/1 विपक्षी की आराजियात है। साबिक नक्शे में 740 को विभाजन नही किया गया था परन्तु मौके पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण अलग–अलग काबिज थे। साविक आराजी संख्या 740/2 के नए नम्बर 1343 बने तथा साबिक आराजी संख्या 740/1 के नए नम्बर नही बनाए गए है। 0.15 है0 भूमि में से 0.10 है0 भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा था। पूर्व में धारा 88 के निर्णित वाद के निर्णय में मौका रिपोर्ट

के अनुसार तरमीम की गई है तथा विपक्षीगण के लिए नया नम्बर बना दिया गया है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण दोनो की भूमियों के बीच में दीवार है। आराजी संख्या 1343, 1353 का पूरा का पूरा रकबा प्रार्थी के नाम दर्ज है और उनका ही कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाए।

9. न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादवर्णित आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात है। वादग्रस्त भूमि पर पक्का निर्माण कर दिया जाता है तो वाद के निर्णय में अनावश्यक विलम्ब होगा। प्रार्थी की खातेदारी आराजी होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द या निर्माण कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि आराजियात में विपक्षीगण को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम धूलखेड़ा पटवार मण्डल बागोलिया में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 1343 रकबा 0.15 है0 भूमि पर उभयपक्ष किसी प्रकार का निर्माण न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे तथा प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि को भारग्रहित नहीं करें न किसी अन्य से करावें। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 9/2/26 को सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ.) रायपुर